**प्रकाशन के लिए अनुमोदित**

**छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर**

**युगल पीठ:**

---

**समक्ष : माननीय श्री राजीव गुप्ता, मुख्य न्यायाधिपति**

**एवं माननीय श्री रंगनाथ चन्द्राकर, न्यायाधीश**

---

**विविध अपील(प्रतिकर) क्रमांक 1234 / 2009**

**अपीलार्थीगण**

1. श्रीमती सुषमा, पति श्री चिन्तामणि भोसलें, आयु लगभग 45 वर्ष,
2. श्री चिन्तामणि राव भोसले, आयु लगभग 51 वर्ष, पिता स्वर्गीय नारायण राव भोसले, दोनों निवासी – मराठापारा, धमतरी, तहसील एवं जिला धमतरी (छत्तीसगढ़)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

**बनाम**

**उत्तरवादीगण**

1. हरीश कुमार साहू, पिता पन्ना लाल साहू, निवासी – ग्राम लोहर्सी, थाना अर्जुनी, तहसील एवं जिला धमतरी (छत्तीसगढ़)
2. भागीरथी साहू, पिता नरोत्तम साहू, आयु लगभग 39 वर्ष, निवासी – ग्राम मुझगहन, तहसील एवं जिला धमतरी (छत्तीसगढ़)
3. शाखा प्रबंधक, ओरिएंटल इन्श्योरेंस कम्पनी लिमिटेड, बिलासपुर, जिला बिलासपुर (छत्तीसगढ़)

**मोटरयान अधिनियम की धारा 173 के अंतर्गत अपील का विवरण**

---

**उपस्थित:**

श्री विवेक राठौर, अपीलार्थीगण के अधिवक्ता

श्री आदित्य कुमार, उत्तरवादी क्रमांक 1 एवं 2 के अधिवक्ता

श्री ए.के.अठाले, उत्तरवादी क्रमांक 3 के अधिवक्ता

---

**आदेश**

**(05 सितम्बर, 2011)**

**माननीय श्री राजीव गुप्ता, मुख्य न्यायाधिपति** द्वारा न्यायालय का निम्नलिखित आदेश पारित किया गया:

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अपीलार्थीगण—स्वर्गीया कु. रुचिता भोसले के दुर्भाग्यशाली माता-पिता—द्वारा मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, धमतरी (संक्षेप में 'अधिकरण') द्वारा दिनांक 09.03.2009 को दावा प्रकरण क्रमांक 101/2006 में पारित आदेश के विरुद्ध प्रतिकर में वृद्धि हेतु यह अपील प्रस्तुत की गई है।

2) अपीलार्थीगण/दावाकर्ता— स्वर्गीया कु. रुचिता भोसले के माता-पिता—द्वारा दिनांक 23.05.2006 को घटित मोटर दुर्घटना में उसकी मृत्यु के लिए मोटरयान अधिनियम की धारा 166 के अंतर्गत दावा याचिका प्रस्तुत कर कुल ₹24,25,000/- की प्रतिकर की मांग की गई थी। किंतु अधिकरण ने कुल ₹52,000/- की प्रतिकर, साथ ही दावा याचिका प्रस्तुत किए जाने की तिथि से वास्तविक भुगतान की तिथि तक 6% वार्षिक ब्याज, प्रदान किया।

3) अधिकरण ने समस्त साक्ष्यों का गहन परीक्षण करने के उपरांत यह निष्कर्ष निकाला कि दावाकर्ताओं की पुत्री कु. रुचिता भोसले की मृत्यु 23.05.2006 को घटित मोटर दुर्घटना में लगी चोटों की वजह से हुई थी। अधिकरण ने यह भी निर्धारित किया कि दुर्घटना

घटित होने में स्वर्गीय कु. रुचिता भोसले, जो दुर्घटना के समय अपनी स्कूटी चला रही थीं, तथा अन्य वाहन ट्रैक्टर क्रमांक CG-05/0702 के चालक—दोनों ने समान रूप से 50-50% योगदान दिया। अधिकरण ने यह भी पाया कि उक्त ट्रैक्टर दुर्घटना की तारीख को ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के साथ बीमित था एवं बीमा कंपनी यह साबित करने में असफल रही कि बीमा पॉलिसी की किसी शर्त का उल्लंघन किया गया है। अतः बीमा कंपनी दावाकर्ता को निर्धारित प्रतिकर की 50% राशि चुकाने के लिए उत्तरदायी है।

4) अधिकरण ने मृतका के आय का निर्धारण मोटरयान अधिनियम की धारा 163-क के अंतर्गत द्वितीय अनुसूची में विनिर्दिष्ट काल्पनिक आय के आधार पर ₹15,000/- प्रतिवर्ष किया। मृतका के निजी व्यय हेतु उसकी आय का 2/3 भाग घटाते हुए, दावाकर्ताओं की आश्रितता ₹5,000/- प्रतिवर्ष आंकी गई। इस वार्षिक आश्रितता ₹5,000/- को 10 के गुणक से गुणा करके प्रतिकर ₹50,000/- निर्धारित की गई। अन्य मदों के अंतर्गत ₹20,000/- की अतिरिक्त राशि प्रदान करते हुए, कुल प्रतिकर की राशि ₹70,000/- आंकी गई। चूँकि ट्रैक्टर का बीमाकर्ता दावाकर्ताओं को निर्धारित प्रतिकर का केवल 50% भुगतान करने हेतु दायित्ववान ठहराया गया था, अतः अधिकरण ने यद्यपि दावाकर्ता को देय प्रतिकर ₹35,000/- (अर्थात् ₹70,000/- का 50%) आंकी, तथापि यह देखते हुए कि मोटरयान अधिनियम की धारा 140 के अंतर्गत 'निर्दोष उत्तरदायित्व' के आधार पर न्यूनतम ₹50,000/- की प्रतिकर देय होती है, अधिकरण ने ट्रैक्टर के बीमाकर्ता को दावाकर्ताओं को ₹52,000/- का भुगतान करने का निर्देश दिया, इस राशि में मोटर दुर्घटना मे उनकी पुत्री कु. रुचिता भोसले की मृत्यु पर ₹2,000/- अंतिम संस्कार के खर्च के लिए सम्मिलित किए गए। अधिकरण ने दावाकर्ताओं को देय उक्त ₹52,000/- की प्रतिकर राशि पर दावा याचिका प्रस्तुत किए जाने की तिथि से वास्तविक भुगतान की तिथि तक 6% वार्षिक ब्याज का भुगतान करने का भी निर्देश दिया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

5) श्री विवेक राठौर, अपीलार्थीगण के अधिवक्ता ने यह प्रस्तुत किया कि अधिकरण ने यह निष्कर्ष निकालने में त्रुटि की है कि स्वर्गीय कु. रुचिता भोसले ने भी दुर्घटना में 50% तक समान रूप से योगदान किया। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि अधिकरण ने मृतका की आय संबंधी दावाकर्ताओं के साक्ष्य को स्वीकार नहीं किया और उसकी आय केवल ₹15,000/- प्रतिवर्ष निर्धारित कर दी; मृतका के निजी खर्चों हेतु उसकी आय का 2/3 भाग कटौती

करना भी उचित नहीं था; अधिकरण द्वारा 10 का निम्न गुणक चयनित किया जाना भी अवैध एवं अनुचित है; तथा अधिकरण द्वारा मात्र ₹52,000/- की अल्प प्रतिकर प्रदान की गई है, जो स्पष्टतः अपर्याप्त है।

6) श्री ए.के. अठाले, उत्तरवादी क्रमांक 3 —ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, जो ट्रैक्टर की बीमाकर्ता है—के अधिवक्ता ने इसके विपरीत, अधिकरण के आदेश का समर्थन किया तथा यह प्रतिपादित किया कि अधिकरण ने उचित रूप से यह निष्कर्ष निकाला है कि स्वर्गीया कु. रुचिता भोसले ने भी दुर्घटना में 50 % तक योगदान किया। साथ ही, अधिकरण द्वारा प्रदत्त 52000 /- रुपए की प्रतिकर वर्तमान मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों में न्यायोचित एवं सही है।

7) श्री आदित्य कुमार, उत्तरवादी क्रमांक 1 एवं 2 के अधिवक्ता ने भी अधिकरण द्वारा पारित आदेश का समर्थन किया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

8) जहाँ तक अधिकरण द्वारा यह निष्कर्ष दर्ज करने का प्रश्न है कि स्वर्गीया कु. रुचिता भोसले भी दुर्घटना के लिए 50% तक उत्तरदायी थीं, यह स्पष्ट है कि दावाकर्ताओं द्वारा स्वयं अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत दांडिक प्रकरण के पुलिस द्वारा तैयार स्थल-नक्शा/स्पॉट-मैप से यह प्रतीत होता है कि मृतका एक गली से आ रही थीं और रायपुर-जगदलपुर राजमार्ग राजमार्ग में प्रवेश कर रही थीं। दावाकर्ताओं के अनुसार भी ट्रैक्टर ने मृतका की स्कूटी को पीछे से टक्कर मारी। चूँकि मृतका गली से आ रही थीं और राजमार्ग में प्रवेश कर रही थीं, अतः मोटरयान नियमों के अनुसार यह उनका दायित्व था कि वे चौराहे पर दोनों ओर से आ रहे यातायात को देखकर सावधानीपूर्वक आगे बढ़ें। यदि मृतका आवश्यक सावधानी बरततीं और ट्रैक्टर के निकल जाने के बाद ही राजमार्ग में प्रवेश करतीं, तो दुर्घटना टाली जा सकती थी। मृतका द्वारा आवश्यक सावधानी न बरतने के कारण ही यह दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना हुई और उनकी मृत्यु हो गई। अतः हमें अधिकरण द्वारा यह निष्कर्ष में कोई कमी नहीं दिखती कि यह सहभागी लापरवाही का मामला है तथा मृतका स्वयं भी 50% तक दुर्घटना के लिए उत्तरदायी थीं।

9) अब हम यह देखेंगे कि क्या अधिकरण द्वारा की गई तय और आदेश की गई प्रतिकर वर्तमान मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों में न्यायोचित एवं सही है या नहीं।

10) यह सही है कि दावाकर्ताओं ने यह प्रस्तुत की कि उनकी पुत्री स्वर्गीय कु. रुचिता भोसले, आयु लगभग 22 वर्ष थी, प्रतिमाह ₹9,000/- कमाती थीं, परन्तु मृतका की ₹9,000/- मासिक आय सिद्ध करने हेतु कोई ठोस एवं विश्वसनीय साक्ष्य अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः अधिकरण ने मोटरयान अधिनियम की धारा 163-क के अंतर्गत द्वितीय अनुसूची में विनिर्दिष्ट काल्पनिक आय के आधार पर मृतका की आय ₹15,000/- प्रतिवर्ष तय की थी।

11) अधिनियम की धारा 163-क, जिसके अंतर्गत द्वितीय अनुसूची वर्ष 1994 में प्रस्तुत की गई थी, निम्नानुसार है:

"**163क. संरचना स्तर के आधार पर परितकर के संदाय की बाबत विशेष उपबंध-**

(1) इस अधिनियम में अथवा तत्समय लागू किसी अन्य विधि या नियम के अंतर्गत किसी लिखित प्रावधान के होते हुए भी, मोटरयान का स्वामी या अधिकृत बीमाकर्ता, मोटरयान के उपयोग से हुई दुर्घटना के कारण हुई मृत्यु या स्थायी निशक्तता की स्थिति में, यथास्थिति, विधिक वारिसो या आहत व्यक्ति को द्वितीय अनुसूची में उपवर्णित प्रतिकर का संदाय करने के लिए दायी होगा।

स्पष्टीकरण: इस उपधारा के प्रयोजनो के लिए "स्थायी निशक्तता" का वही अर्थ और विस्तार है जो कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, 1923 (1923 का 8 ) में है।

(2) उपधारा (1) के अंतर्गत प्रतिकर के लिए किसी दावे में, दावाकर्ता से यह अपेक्षा नहीं की जाएगी कि वह यह अभिवचन या यह सिद्धह करे कि मृत्यु या स्थायी निशक्तता, जिसके बाबत दावा किया गया है, यान या यान के स्वामी या किसी अन्य व्यक्ति की दोषपूर्ण कार्य या उपेक्षा या व्यतिक्रम के कारण हुई थी।

(3) केंद्रीय सरकार, जीवन निर्वाह की लागत को ध्यान में रखते हुए, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, समय-समय पर द्वितीय अनुसूची का संशोधन कर सकती है।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

12) अधिनियम की धारा 163-क की उपधारा (3) के अंतर्गत केन्द्र सरकार को समय-समय पर जीवन-यापन के खर्च को ध्यान में रखते हुए द्वितीय अनुसूची में संशोधन करने का अधिकार दिया गया है।

13) क्योंकि केंद्रीय सरकार ने अधिनियम की धारा 163-क की उपधारा (3) के अनुसार द्वितीय अनुसूची में संशोधन करने में विफलता दिखाई है, इसलिए न्यायालय/अधिकरण यह न्यायिक रूप से संज्ञान ले सकते हैं कि वर्ष 1994 में द्वितीय अनुसूची प्रस्तुत किए जाने और वर्तमान मामले में दुर्घटना की तारीख के बीच आवश्यक वस्तुओं की कीमतों और जीवन निर्वाह की लागत में वृद्धि हुई है।

14) अब वर्तमान प्रकरण पर आते हैं, वह दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना जिसमें दावाकर्ता की पुत्री कु. रुचिता भोसले की मृत्यु वर्ष 2006 में हुई थी। यदि वर्ष 1994 और वर्ष 2006 के बीच आवश्यक वस्तुओं की कीमतों और जीवन निर्वाह की लागत में वृद्धि को ध्यान में रखा जाए तो वर्ष 1994 में द्वितीय अनुसूची में निर्धारित ₹15,000/- की काल्पनिक आय निश्चित रूप से वर्ष 2006 में ₹36,000/- हो जाएगी। अतः हम मृतका की आय को ₹36,000/- प्रतिवर्ष मानकर प्रतिकर की पुनर्गणना करने का प्रस्ताव रखते हैं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

15) इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि मृतका कु. रुचिता भोसले दुर्घटना के समय अविवाहित थीं और दावाकर्ता उनके माता-पिता हैं, हमारा मत है कि मृतका के व्यक्तिगत व्यय के रूप में ₹36,000/- का 50% कटौती करना उपयुक्त होगा। यह दृष्टिकोण सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों में व्यक्त सिद्धांतों के अनुरूप है, जैसे: सैयद बशीर अहमद और अन्य बनाम मोहम्मद जमील एवं अन्य, (2009) 2 सुप्रीम कोर्ट केसेस 225 मे प्रकाशित एवं सरला वर्मा (श्रीमती) एवं अन्य बनाम दिल्ली परिवहन निगम एवं अन्य, (2009) 6 एससीसी 121 मे प्रकाशित। अतः हम दावाकर्ताओं की निर्भरता को प्रतिवर्ष ₹18,000/- निर्धारित करते हैं, जो कि ₹36,000/- में से मृतका के व्यक्तिगत व्यय के 50% की कटौती के बाद बची राशि है।

16) यह कहा जा सकता है कि अधिकरण द्वारा चयनित गुणांक 10 में कोई दोष नहीं है, क्योंकि दावाकर्ता मृतका के माता-पिता हैं। यह दृष्टिकोण सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार है, जैसे: म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ़ ग्रेटर बॉम्बे बनाम लक्ष्मण लायर और अन्य के मामले में, (2003) 8 एससीसी 731 मे प्रकाशित इस निर्णय में यह स्थापित किया गया है कि जिन मामलों में दावाकर्ता मृतक के माता-पिता हों, वहां गुणांक कभी भी 10 से अधिक नहीं होना चाहिए।

17) मृतका की वार्षिक निर्भरता ₹18,000/- को गुणांक 10 से गुणा करने पर प्रतिकर ₹1,80,000/- होती है। दावाकर्ता को इसके अतिरिक्त अंतिम संस्कार के खर्च के रूप में ₹5,000/- और संपत्ति हानि के लिए ₹5,000/- भी प्रदान किए जाते हैं। अतः कुल प्रतिकर ₹1,90,000/- निर्धारित होता है। क्योंकि ट्रैक्टर का चालक दुर्घटना में 50% तक उत्तरदायी था, अतः ट्रैक्टर के बीमाकर्ता का दायित्व ₹1,90,000/- का 50%, अर्थात् ₹95,000/- होगी।

18) दावाकर्ता को बढ़ी हुई प्रतिकर ₹43,000/- पर ऋण/ब्याज के रूप में ₹5,000/- अतिरिक्त प्रदान किए जाते हैं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

19) उपरोक्त कारणों से, दावाकर्ता द्वारा दायर प्रतिकर वृद्धि की अपील आंशिक रूप से स्वीकृत की जाती है। सहभागी लापरवाही संबंधी निष्कर्ष को बनाए रखते हुए, अधिकरण द्वारा ₹52,000/- दी गई प्रतिकर को ₹95,000/- तक बढ़ाया जाता है, साथ ही ₹43,000/- के बढ़े हुए राशि पर 5,000/- रुपये का ब्याज भी जोड़ा जाता है।

20) उत्तरदाता क्रमांक 3, ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, को तीन महीने का समय दिया जाता है कि वह कुल राशि 48,000/- रुपये (बढ़ी हुई प्रतिकर 43,000/- रुपये + 43,000/- रुपये के बढ़ी हुई प्रतिकर की राशि पर 5,000/- रुपये का तय ब्याज) को संबंधित दावा अधिकरण में जमा करे।

21) वाद-व्यय के संबंध में कोई आदेश पारित नहीं किया गया है।

**सही/-** **सही/-**

**मुख्य न्यायाधिपति** **रंगनाथ चंद्राकर**

**न्यायाधीश**

**अस्वीकरणः** हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

Translated By Amitesh Anand Rathore

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur